न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 70/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/125

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

ओमाराम पुत्र दुर्गाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)

1. श्रीमती उगलीदेवी पत्नी बाबूलाल
2. मीमादेवी पुत्र बाबूलाल
3. सोहनलाल ढ़ाका पुत्र बाबूलाल जातिगण जाट, निवासीगण ग्राम भूरियासनी, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 65 राज. भू राजस्व अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 19 एवं आदेश 9, नियम 4, 5 एवं 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **13.05.2026**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 राज. भू राजस्व अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 19 एवं आदेश 9, नियम 4, 5 एवं 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 31/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 को अपास्त कर प्रकरण पुनः रेस्टोर बाबत् पेश किया। जैर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित वक्त बहस उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण के नाम जारी नोटिस तामील प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 01 से अप्रार्थी संख्या 03 तक के नाम नोटिस अखबार में छाया करवाने के बावजूद न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक नामान्तरकरण अपील न्यायालय हाजा में पेश की जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.10.2024 को रेस्पोडेण्ट के नाम पी. एफ. मय सम्मन भरकर पेश नहीं करने के कारण आदेश 09 नियम 05 सी. पी. सी. के तहत खारिज कर दी। प्रार्थी अनपढ़, ग्रामीण परिवेश की कृषक परिवार का व्यक्ति है, केवल मात्र साक्षर है, जिसे न तो कानून की जानकारी एवं न ही न्यायालय के प्रोसेस की जानकारी है। प्रार्थी की ओर से पैरवी इत्यादि सम्पूर्ण कार्रवाई हेतु अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा को नियुक्त किया, जिस पर अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रार्थी की अपील रेस्पोडेण्ट्स की तलबी हेतु लम्बित थी एवं अधिवक्ता महोदय ने प्रार्थी को धोखे एवं मुगालते में रखकर पी. एफ. पेश नहीं किये, जिस कारण प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत ऊपर वर्णित अपील को दिनांक 15.10.2024 को अदम तकमील में खारिज कर दिया। प्रार्थी की इसमें कोई गलती नहीं थी एवं अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क करने पर उन्होंने हमेशा उक्त अपील को लम्बित होना ही बताया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की लापरवाही का दण्ड पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रार्थी निर्दोष है तथा प्रार्थी के स्तर पर कोई लापरवाही नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की उक्त अपील को आदेश 09 नियम 05 सी. पी. सी. के तहत खाारिज किया गया जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध है। जहां अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध हो वहां सी. पी. सी. के प्रावधान लागू भी नहीं होते है। इस कारण भी जैर प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमावे एवं आदेश दिनांक 15.10.2024 निरस्त फरमाकर ऊपर वर्णित अपील को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में **2008 (2) RRT 1138 para no 30 (b), 2002 (4) RLW 2280, 2009 DNJ 320 (SC), 2014 (1) DNJ 214** न्यायिक नजीर प्रस्तुत की।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

बहस सुनी गई। जैर प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य उज्र यह है कि पूर्व में एक नामान्तरकरण अपील न्यायालय हाजा में पेश की जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.10.2024 को रेस्पोडेण्ट के नाम पी. एफ. मय सम्मन भरकर पेश नहीं करने के कारण आदेश 09 नियम 05 सी. पी. सी. के खारिज कर दी। उक्त अपील में बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलाण्ट पक्ष द्वारा रेस्पोडेण्ट्स के नाम सम्मन तामील हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त आदेश दिनांक 15.10.2024 के लगभग 9 माह पश्चात् प्रार्थी द्वारा

जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत जैर प्रार्थना–पत्र के माध्यम से उक्त खारिज आदेश को सेट–असाइड/पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया गया है। आवेदन में यह कथन किया गया है कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें ऊपर वर्णित अपील की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया तथा तलबी से शेष रेस्पोडेण्ट्स की तामीली हेतु सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः इसमें अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह भी है कि उक्त अपील को आदेश 09 नियम 05 सी. पी. सी. के तहत खाारिज किया गया जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध है। जहां अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध हो वहां सी. पी. सी. के प्रावधान लागू भी नहीं होते है।

समायतशुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व न्यायालय हाजा की पूर्व पत्रावली संख्या 31/2023 पर उपलबध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मनन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 31/2023 में तलबी से शेष रेस्पोडेण्ट्स की तामीली हेतु सम्मन प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे, परन्तु प्रार्थी ने तलबी से शेष रेस्पोडेण्ट्स की तामीली हेतु सम्मन प्रस्तुत नहीं किये, जिस कारण अपील विचारणीय स्थिति में नहीं आ सकी। परिणामस्वरूप न्यायालय हाजा द्वारा आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के सिद्धान्तों के अनुसार प्रार्थी की अपील खारिज की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अधिवक्ता की लापरवाही का दुष्परिणाम पक्षकार पर नहीं डाला जाना चाहिए, इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वाद का संचालन अन्ततः पक्षकार के दायित्व क्षेत्र में आता है तथा लम्बे समय तक प्रकरण की प्रगति के संबंध में कोई जानकारी न लेना स्वयं में लापरवाही को प्रदर्शित करता है। जैर प्रार्थना–पत्र ऊपर वर्णित अपील संख्या 31/2023 के आदेश दिनांक 15.10.2024 के लगभग 9 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के साथ विलम्ब क्षमा हेतु कोई समुचित एवं संतोषजनक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल अधिवक्ता पर दोषारोपण कर अत्यधिक विलम्ब को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक बार इस न्यायालय द्वारा अपील का अंतिम निस्तारण कर आदेश पारित कर दिया गया है, तब यदि अपीलार्थी उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध सक्षम उच्चतर न्यायालय के समक्ष वैधानिक उपाय अपनाना ही उचित विधिक मार्ग है। न्यायालय हाजा अपने ही अंतिम आदेश पर पुनः अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना न्यायोचित नहीं समझता।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पूर्व अपील को आदेश 09 नियम 05 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाना विधि विरुद्ध है, क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध हैं तथा जहां विशेष अधिनियम में प्रावधान उपलब्ध हो वहां सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते परन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को उसके द्वारा पूर्व प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में बारम्बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आवश्यक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण अपील विचारणीय स्थिति में नहीं आ सकी। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा आदेश 09 नियम 05 सी.पी.सी. के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए अपील को खारिज किया जाना, मात्र प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु किया गया कार्य है, जिसे अविधिक अथवा अधिकार क्षेत्र से परे नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी का यह तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।"

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सेट–असाइड/पुनर्स्थापन जैर प्रार्थना–पत्र विलम्ब से प्रस्तुत होने तथा पर्याप्त कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। यदि अपीलार्थी इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक आदेश दिनांक 15.10.2024 असंतुष्ट है, तो वह विधि अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित वैधानिक उपाय अपनाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **13.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली